

21/9/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभिमान 2021 के तहत केम्प कोर्ट में दिनांक 6/12/21 को पेश ही।

6/12/21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभिमान के तहत केम्प कोर्ट खजूरी में आज पेश हुई। पक्षकारान के नोटिस बाद तमील संलग्न ही तहसीलदार नैनवां का जवाब प्राप्त हो चुका है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक जमाबंदी ग्राम खजूरा के खाता सं. 117 के ख.नं. 753 व खाता सं. 118 के ख.नं. 752 पर खतियदार मधु पुत्री पुष्पा देहिती नरसी, महवीर, रघुवीर पिंनरसी में जाति बरिठ दर्ज है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों

द्वारा बताया गया कि इनके व्यक्ति सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में ग्राम में डोल बजाने का कार्य करते हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 13-1-87 को जारी जाति प्रमाण पत्र श्री रघुवीर भारतीय पुत्र श्री नृसिंह भारतीय निवाली ग्राम पीपरावाला पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी की जाति डोली अंकित है तथा जाति प्रमाण पत्र पूर्विका भारती पुत्री रघुवीर भारती दिनांक 28.3.2018 में भी जाति डोली अंकित है।

इसने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेज तथा रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनी गई। प्रस्तुत रिपोर्ट दस्तावेज व तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से प्रार्थी की जाति डोली किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपस्थित नैनवां

ग्राम खजुरा पटवार मण्डल खजुरा की  
खाता सं. 114 की खसरा संख्या 753  
रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि, खाता सं.  
113 की खसरा संख्या 752 रकबा 2 बीघा  
03 बिस्वा भूमि तथा ग्राम पीपरवाला  
पटवार मण्डल खजुरा की खाता संख्या  
48 की खसरा संख्या 2 रकबा 3 बीघा  
10 बिस्वा भूमि से सम्बन्धित राजस्व  
रिकार्ड, जमाबंदी में प्राथमिकता की जाति  
का नाम "बारेठ" निरस्त कर "दोली"  
इर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते  
हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया  
गया। तहसीलदार नैनवां को निर्देशित  
किया जाता है कि उक्तानुसार इन्द्राज  
दुरवस्ती की जावे। पत्रावली बाद तत्काल  
दाखिल दफ्तर हो। २५/११/११  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)